न्यायालय उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः–सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :–30/2024
जीसीएमएस नं. :–2024/82

बलराम पुत्र स्व. दूदाराम जाति कुम्हार निवासी गावं सईदवाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)

––– **प्रार्थी**

बनाम्

1. शंकरलाल पुत्र बंलराम जाति कुम्हार निवासी सईदवाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
2. सोहनलाल पुत्र स्व. दूदाराम जाति सईदवाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
3. पालीदेवी पुत्र स्व. दूदाराम जाति सईदवाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
4. गुडड़ी देवी पुत्र स्व. दूदाराम जाति सईदवाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
5. घमीदेवी पुत्र स्व. दूदाराम जाति सईदवाला तंहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

––––**अप्रार्थीगण**

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित–

1. श्री नरेन्द्र चुघ एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
2. श्री गुरतेजसिंह एडवोकेट अप्रार्थी सं.–1, 3 ता 5 की ओर से
3. अप्रार्थी सं.–2 स्वयं उपस्थित

कार्यालय उप जिला कलक्टर * जिला श्रीगंगानगर *

– :: निर्णय :: – दिनांकः–30/04/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि वाके चक 26 एसजेएम (खमीसा) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–318/369 का किला नं.–1 ता 25 की 25 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी के पिता श्री दूदाराम पुत्र स्व. श्री ज्ञानाराम जाति कुम्हार निवासी चक 26 एसजेएम (खमीसा) तहसील अनूपगढ़ के नाम से दर्ज थी उक्त कृषि भूमि वर्तमान में अप्रार्थीगण सं.–1 वा 2 के नाम से सयुक्त खाता में राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी के पिता श्री दूदाराम का दिनाक 08.02.2012 को निवर्सीयती देहात हो चुका है। उपरोक्त कृषि भूमि को वाद पत्र में आयदा वादग्रस्त कृषि भूमि दर्ज किया जावेगा। चित्रप्रति जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र सलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी यहांयह स्पष्ट करता है कि प्रार्थी [illegible] स्व. श्री दुदाराम का निवर्सीयती देहांत हुआ था। प्रार्थी के पिता स्व. श्री [illegible] का मुख्यकर्ता होने के नाते उपरोक्त कृषि भूमि आवंटित हुई थी। [illegible] की काश्त प्रार्थी व अप्रार्थी सं.–2 अपने पिता श्री दूदाराम के जीवनकाल में उनके साथ मिल कर करते थे। उपरोक्त कृषि भूमि की समस्त किस्ते हम तीनों द्वारा [illegible] आय से अदा की गई थी। प्रार्थी के पिता श्री दूदाराम का दिनांक 08.02.2012 को देहांत होने के बाद स्व. श्री दूदाराम के प्रार्थी सहित दो पुत्र क्रमशः प्रार्थी, अप्रार्थी स्.–2 व 3 पुत्रींया अप्रार्थीगण सं.–3 ता 5 है। इस प्रकार प्रार्थी, अप्रार्थीगण सं.–2 ता 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:24 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

प्रत्येक का 1/5 हिस्सा जन्म से निहित है। प्रार्थी के पिता स्व. श्री दूदाराम के देहांत के उपरोक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी, अप्रार्थी सं.–2 ता 5 सभी का सयुंक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौका पर सभी सयुक्त रूप से काबिज है। अप्रार्थी सं.–1 ने चोरी छुपे चालाकी से अपने पक्ष में फर्जी एव कूटरचित वसीयत दिनांक 08.03.2010 तैयार करवा ली जो कि प्रार्थी के अधिकारी पर आरंभ से प्रभावहीन, प्रभावशुन्य व बेअसर है। अप्रार्थी सं.–1 ने अप्रार्थी सं.–2 से मिलीभगत कर चोरी छुपे फर्जी व कूटरचित वसीयत दिनांक 08.03.2010 के आधार पर अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में इंतकाल दर्ज करवाने के आदेश पारित करवा लिए जो कि प्रार्थी के अधिकारी पर आरंभ से प्रभावहीन, प्रभावशुन्य व बेअसर है। इसके पश्चात मिलीभगत अनुसार अप्रार्थी सं.–2 ने अप्रार्थी सं.–1 से पांच बीघा कृषि भूमि अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में हस्तांतरित करवा ली है। अप्रार्थी सं.–1 शंकरलाल ने प्रार्थी के खिलाफ न्यायालय सिविल न्यायाधीश अबोहर में वाद पत्र, प्रकरण सं.–460/2023 दाखिल किया जिसमें प्रार्थी दिनाक 17.05.2023 को हाजिर हुआ तथा अपनी तरफ से वकालतनामा प्रस्तुत किया तो प्रार्थी को इस तथ्य की जानकारी प्राप्त हुई कि अप्रार्थी सं.–1 ने फर्जी व कूटरचित वसीयत तैयार कर ली है। उक्त फर्जी व कूटरचित वसीयत प्रार्थी के अधिकारो पर आरंभ से प्रभावहीन, प्रभावशुन्य व बेअसर है तथा अप्रार्थी सं.–1 ने मिलीभगत अनुसार अप्रार्थी सं.–2 के नाम पांच बीधा हस्तांतरित कर दी है तथा राजस्व रिकार्ड में पांच बीधा अप्रार्थी सं.–2 के नाम से दर्ज हो चुके है। इस पर प्रार्थी ने अपने रिश्तेदारों व जाति बिरादरी के व्यक्तियों की पंचायत कर अप्रार्थीगण सं.–1 या 2 को समझाया कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि जो कि पिता स्व. श्री दूदाराम के नाम की सम्पतिं थी जिसमे स्व. श्री दूदाराम के प्रत्येक वारिस यानि प्रार्थी, अप्रार्थीगण सं.–2 ता 5 का 1/5 हिस्सा यानि प्रत्येक का 5 बीघ्रा बनता है तथा अप्रार्थी सं.–2 ने अपने हिस्सा के 5 बीघा अपने नाम से करवा लिए है इसलिए अब शेष 20 बीघा शेष वारिसान को भी 5–5 बीघा उनके हिस्सानुसार दिऐ जाकर उनके नाम से राजस्य रिकार्ड में दर्ज करावे तथा सभी वारिसान अपने 2 हिस्सा पर ही काबिज है। जिस पर अप्रार्थी सं.–1 हर बार बहानेबाजी करटाल मटोल करता रहा।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे मूल वाद के निस्तारण तक कृषि भूमि वाके चक 26 एसजेएम (खमीसा) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–318/369 का किला नं.–1 ता 25 की 25 बीघा कृषि भूमि कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि के किसी भी भू–भाग को अन्यत्र रहन, बैय, हस्तांतरित व अन्य किसी प्रकार से खुर्द बुर्द करने से निषेध रहे तथा रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाऐ रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं.–1, 3 ता 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र [illegible] भूमि वाके चक 26 एसजेएम (खमीसा) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा [illegible]318/[illegible] का किला नं.–1 ता 25 की 25 बीघा रकबा दूदाराम पुत्र ज्ञानाराम के ना[illegible] पूर्व मे दर्ज होना तथा दिनांक 08.02.2012 को दूदाराम का देहांत होना स्वीकार है। लेकिन उक्त कृषि भूमि किसी प्रकार से वादग्रस्त नहीं है। क्योंकि [illegible]राम द्वारा अपने जीवनकाल मे अपने पूर्ण होश हवास, बिना किसी दबाव के अपने स्वच्छ चित से अप्रार्थी सं.–1 के पक्ष में रोबरू गवाहान पंजीकृत वसीयत दिनांक 08.03.2010 को निष्पादित करवाई गई थी। वसीयत मे दर्ज कृषि भूमि दूदाराम के नाम से

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:24 IST
Reason: SelfAttested

आवंटित हुई थी तथा उसकी किस्ते दूदादाम द्वारा स्वंय की कमाई से जमा करवाई गई थी। वसीयत मे दर्ज कृषि भूमि दूदाराम की स्वअर्जित सम्पतिं थी जिसके संबंध मे दूदाराम को समस्त प्रकार के हक वा अधिकार प्राप्त थे। तहसीलदार अनूपगढ़ के समक्ष वसीयत प्रकरण सं.–102/2012 में प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण द्वारा वसीयत शपथ पत्र पेश किए गए है। दिनांक 03.07.2012 की प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिस पर तहसीलदार अनूपगढ द्वारा समस्त गवाहान को सुन कर समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात वसीयत के आधार पर अप्रार्थी सं.–1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में नामार्तरण दर्ज करने के आदेश दिए गए है। इस प्रकार वसीयत के आधार पर उक्त कृषि भूमि पर दूदादाम के देहांत के बाद अप्रार्थी सं.–1 का कब्जा चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी का सयुक्त कब्जा नही है। क्योंकि दूदाराम द्वारा वसीयत का निष्पादित अपनी स्वेच्छया से सभी वारिसान की सहमति से अप्रार्थी सं.–1 के पक्ष में किया गया था। तत्पश्चात वसीयत प्रकरण में तहसीलदार के समक्ष दूदाराम के सभी वारिसान ने शकंरलाल के पक्ष में वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज होने की कार्यवाही में लिखित में अपनी सहमति प्रस्तुत की है। इसलिए उक्त वसीयत कतई चोरी छूपे, फर्जी व कूटरचित नहीं है। इसलिए उक्त वसीयत किसी प्रकार से प्रभावहीन, प्रभावशुन्य व बेअसर नही है। अप्रार्थी सं.–1 ने वसीयत दिनांक 08.03.2010 कतई चोरी छूपे, फर्जी व कूटरचित तरीके से निष्पादित नही करवांई गई है। बल्कि वसीयत जो कि एक पंजीकृत दस्तावेज है जो विधि सम्मत दस्तावेज है। इसलिए उक्त वसीयत कतई चोरी छूपे, फर्जी व कूटरचित नही है। इसलिए उक्त वसीयत किसी प्रकार से प्रभावहीन, प्रभावशुन्य व बेअसर नही है। प्रार्थी को वसीयत का इल्म वसीयत के आधार पर नामातरंण हेतु तहसीलदार अनूपगढ़ के समक्ष चली कार्यवाही मे ही हो गया था। प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण ने तहसीलदार अनूपगढ़ के समक्ष उपस्थित होकर स्टांम्प पर लिखित मे अपनी सहमति प्रस्तुत की है। प्रार्थी श्रीमान् न्यायालय मे क्लीनहेण्ड से नही आया है। प्रार्थी ने उक्त मद में मिथ्या तथ्य दर्ज किए गए है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई पंचायत नही की तथा ना ही दूदादाम की उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का 5 बीघा जमीन हिस्सा बनता है तथा ना ही प्रार्थी दूदाराम की जमीन से 5 बीघा जमीन प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वसीयत में दर्ज कृषि भूमि दूदाराम की स्वअर्जित सम्पतिं थी। अतः जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

कार्यालय उप जिला कलक्टर
जिला श्रीगंगानगर

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान कथित अभिवचनों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजातों, अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया गया। धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है:–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :–यह कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि प्रार्थी के पिता स्व. श्री दूदाराम को परिवार का मुख्य कर्ता होने के नाते उपरोक्त कृषि भूमि आवंटित हुई थी। जिसकी काश्त प्रार्थी व अप्रार्थी सं.–2 अपने पिता श्री दूदाराम के जीवनकाल मे उनके साथ मिल कर करते थे। उपरोक्त कृषि भूमि की समस्त किस्ते हम तीनों द्वारा सयुक्त आय से अदा की गई थी। प्रार्थी के पिता स्व. श्री दूदाराम के देहांत के उपरोक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी, अप्रार्थी सं.–2 ता 5 सभी का सयुंक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौका पर सभी सयुक्त रूप से काबिज है। अप्रार्थी सं.–1 ने चोरी छुपे चालाकी से अपने पक्ष में फर्जी एव

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:24 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कूटरचित वसीयत दिनांक 08.03.2010 तैयार करवा ली जो कि प्रार्थी के अधिकारी पर आरंभ से प्रभावहीन, प्रभावशुन्य व बेअसर है। अप्रार्थी सं.–1 ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि दूदाराम द्वारा अपने जीवनकाल मे अपने पूर्ण होश हवास, बिना किसी दबाव के अपने स्वच्छ चित से अप्रार्थी सं.–1 के पक्ष में रोबरू गवाहान पंजीकृत वसीयत दिनांक 08.03.2010 को निष्पादित करवाई गई थी। वसीयत मे दर्ज कृषि भूमि दूदाराम के नाम से आवंटित हुई थी तथा उसकी किस्ते दूदादाम द्वारा स्वंय की कमाई से जमा करवाई गई थी। वसीयत मे दर्ज कृषि भूमि दूदाराम की स्वअर्जित सम्पतिं थी जिसके संबंध मे दूदाराम को समस्त प्रकार के हक वा अधिकार प्राप्त थे। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई अधिकारिता नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

सुविधा का संतुलनः–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध नही होता है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थी के अपेक्षा अप्रार्थी को ज्यादा असुविधा होगी तथा अप्रार्थी अपनी जरूरतो से वंचित हो जावेगें एवं अप्रार्थी कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जायेगें। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

अपूर्णीय क्षतिः–प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में तय हो चुके है तथा प्रार्थी अपने पक्ष में दोनों बिन्दू साबित करने में असफल रहे है। इस स्थिति में अगर अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थी अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगें। जिससे अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध तय किये गये है। प्रार्थी न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राज. काश्त. अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज **दिनांक** 30/04/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:24 IST
Reason: SelfAttested